

19/11/24

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी अनुपस्थित एवं  
वादीगण अनुपस्थित। वकील वादी व वादीगण  
को शाम 6.00 बजे तक रुक रुक कर तीन बार  
आवाज लगाई गई किन्तु वे अनुपस्थित रहे हैं।  
वादी वकील को पूर्व में प्रतिवादीगण की तलवी  
हेतु अनेको मौके दिये जा चुके हैं पर वे  
तलवाना पेश करने में आज दिनांक तक  
असफल रहे अतः वादी का वाद इसी  
स्तत पर आपेश व नियम 03 C.P.C. के  
तहत अल्प हाजरी हाज्य पैरवी में  
स्थापित किया जाता है। पत्रावली  
केवल श्याम होकर नम्बर से कम है।

उपरवण्ड अधिकारी  
किशनगढ (अजमेर)



उपरवण्ड अधिकारी  
किशनगढ (अजमेर)